



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 14.09.25

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 0457/2025 धारा 131/115(2)/110/352/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.08.25 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. वसीम पुत्र इमामुददीन 2. नसीम पुत्र इमामुददीन 3. फरमान पुत्र नसीम 4. आरिस पुत्र नसीम निवासीगण मौ0 एकता कॉलोनी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत द्वारा वादिया के लडके शानू व भतीजे साहिल पर लाठी डण्डो से हमला कर मारपीट की गयी, जिससे दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गए तथा अभियुक्तों द्वारा गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत मु0अ0सं0 0457/2025 धारा 131/115(2)/110/352/ 351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 0457/2025 धारा 131/115(2)/110/352/351(2) बीएनएस

में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.वसीम पुत्र इमामुद्दीन निवासी मौ0 माता कॉलोनी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत, उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2.उ0नि0 श्री कैलाशचन्द थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3.का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक-14.05.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 286/2025 धारा 303(2) BNS का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई एक बैटरी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.09.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री रविन्द्र पुत्र सतीश निवासी ग्राम फखरपुर शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत ने हिन्दी लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र बोबी 2. अजय पुत्र रुडे 3. मोहसीन पुत्र अलीहसन निवासीगण ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी के ट्रैक्टर स्वराज 724 से एक बैटरी काला रंग व खुले आंगन में रखी दो ई- रिक्शा की लाल रंग की बैट्री कम्पनी लिवगार्ड चोरी कर ली हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 286/25 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 286/25 धारा 303(2) BNS का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे एक बैटरी बरामद हुई है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/3(5) BNS की वृद्धि की गयी है तथा थाना बिनौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. सचिन पुत्र बोबी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम फखरपुर शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत
2. अजय पुत्र रुडे निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक बैटरी कम्पनी LIVGUARD रंग काला लाल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० राहुल यादव थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2- है०का० 664 शेर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3- है०का० 354 नीलेश थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4- है०का० 771 कुलतार सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 5- है०का० 440 राशिद थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 6- है०का० 714 रविन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 14.09.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 14 पेटी अवैध देशी शराब व 03 बैगों में 200 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी XCENT बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 14 पेटी अवैध देशी शराब व 03 बैगों में 200 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी XCENT नंबर DL1RTA3327 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 304/25 धारा 60/63/72 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अलताफ पुत्र मौहम्मद इसरार निवासी संजय अमर कॉलोनी थाना फर्स बाजार जिला शाहदरा दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण-

- 14 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का
- 03 बैगो में 200 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।
- घटना में प्रयुक्त 01 गाडी XCENT नंबर DL1RTA3327

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. है0का0 599 सचिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
3. है0का0 516 सतेन्द्र गिरी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
4. है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
5. का0 789 योगेन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 14.09.2025

बागपत पुलिस ने 10 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 10 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.दिल्लू पुत्र भूरा कश्यप निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत जनपद बागपत
2. रविन्द्र पुत्र प्रकाश जाटव निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत
3. रमेश कुमार पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम सरुरपुर कलां पट्टी मूला टावर वाली गली पुलिस चौकी के पीछे थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
4. सतेन्द्र तोमर पुत्र प्रेम सिंह निवासी कोताना रोड करबा व थाना बडौत जनपद बागपत
- 5.भूरा पुत्र जगपाल सिंह निवासी ग्राम शिकोहपुर थाना बडौत जनपद बागपत
- 6.पुष्पेन्द्र पुत्र नरेश शर्मा निवासी नेहरू रोड रेलवे स्टेशन के पास करबा व थाना बडौत जनपद बागपत
7. गोलू पुत्र मतलूब निवासी पट्टी चौधरान करबा व थाना बडौत जनपद बागपत
8. बबलू पुत्र फेरू सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत
9. दीपक कुमार त्यागी पुत्र ऋषिपाल त्यागी निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत



10. फिरोज पुत्र श्वैर मौ0 निवासी बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना बडौत पुलिस टीम । (08 वारंटी)

2-थाना बालैनी पुलिस टीम । (01 वारंटी)

3-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम । (01 वारंटी)

